



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 30, 2012/माघ 10, 1933

No. 167]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 30, 2012/MAGHA 10, 1933

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2012

का.आ. 190(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2012 का 3) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 फरवरी, 2012 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 12/11/2011-पी.आई.]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2012

S.O. 190(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2011 (No. 3 of 2012) the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2012 as the date on which the provision of the said Act shall come into force.

[F.No. 12/11/2011-PI.]

MANOJKUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2012

का.आ. 191(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखपाल (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2012 का 10) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 फरवरी, 2012 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 12/11/2011-पी.आई.]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2012

S.O. 191(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Cost and Works Accountants (Amendment) Act, 2011 (No. 10 of 2012) the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2012 as the date on which the provision of the said Act shall come into force.

[F.No. 12/11/2011-PI.]

MANOJKUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2012

का.आ. 192(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2012 का 4) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 फरवरी, 2012 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 12/11/2011-पी.आई.]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2012

S.O. 192(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Company Secretaries (Amendment) Act, 2011 (No. 4 of 2012) the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2012 as the date on which the provision of the said Act shall come into force.

[F.No. 12/11/2011-PI.]

MANOJKUMAR, Jt. Secy.